न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : महीपाल सिंह आर0ए0एस0

करण संख्या : 165 / 2020 प्रार्थनापत्र

अनवान

1. मोहित दुआ पिता प्रदीप कुमार दुआ निवासी – 6 / 14 , 376 , पंचवटी , शास्त्रीनगर , भीलवाडा राज0 ——प्रार्थी

बनाम

1. कमली पुत्री मांगीलाल ओड मृतक जरिये वारिसान –
   1. नारायण पिता जगरूप ओड निवासी ईरास , सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा (राज0)
2. भागचन्द पिता गणेश ओड निवासी चमनपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा (राज0)
3. सीता पुत्री पिता गणेश ओड निवासी चमनपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा (राज0)
4. भोली पुत्री गणेश ओड निवासी चमनपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा (राज0)
5. गंगा पुत्री गणेश ओड निवासी चमनपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा (राज0)
6. सुन्दर पुत्री गणेश ओड निवासी चमनपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा (राज0)
7. रामुदेवी पत्नि गणेश ओड निवासी चमनपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा (राज0)
8. सुजानकंवर पत्नि सुरेश सिंह केशावत निवासी 543 गेट नं. 2 , अंसल , सुशान्त सिटी , आरजिया तहसील व जिला भीलवाडा (राज0)
9. ब्रजबाल पत्नि भुपेन्द्रसिंह केशावत निवासी 543 गेट नं. 2 , अंसल , सुशान्त सिटी , आरजिया तहसील व जिला भीलवाडा (राज0)
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

——————अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित –

1. श्री इकबाल मोहम्मद छीपा (अधिवक्ता प्रार्थी)
2. पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 21–01–21

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वकील प्रार्थी / प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251–(ए) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन दिनांक 08.10.2020 को प्रस्तुत किया। प्रार्थनापत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये। न्यायालय द्वारा जारी सम्मनो के संदर्भ में अन्य विपक्षिगणो द्वारा कोई प्रतिरोध पैश नही किया गया ।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार मौजा चमनुपरा पटवार मण्डल चमनपुरा तहसील बनेडा स्थित आराजी नम्बर 360 , 361 , 369 , 370 कुल खसरा 04 रकबा 14 बीघा 12 बिस्वा भूमि प्रार्थी के पक्ष में खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। एंव प्रार्थी के स्वंय के खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु कोई स्थाई चिन्हीकरण / रास्ता उपलब्ध नही होने से अडौसी–पडौसीयों से मिन्नत करके अपनी स्वयं की आराजी तक पहुंचना पडता है। पुर्व में विपक्षिगणो की खातेदारी भूमि में होकर आता जाता रहा है। परन्तु अब अप्रार्थीगणो द्वारा रूकावट किये जाने से विपक्षिगणो की आराजी सं0 1039 , 974 के मेर के सहारे–सहारे 16 फिट रास्ता कायमी बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।

न्यायालय द्वारा दिनांक 13.10.2020 को मामले में तहसीलदार बनेडा को पत्र लिखा जाकर निर्देश दिये गये कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रेकार्ड एंव मौके का अध्ययन कर नया रास्ता कायमी हेतु प्रस्ताव भिजवाया जावे।

दिनांक 13.10.2020 को प्रकरण में हल्का पटवारी चमनपुरा द्वारा तरतीब दिया पर्चा मौका, रिपोर्ट पटवारी हल्का नजरी नक्षा प्रस्तावित नक्षा ट्रेस, एंव जमाबन्दी शामिल मिसल किये गये।

अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 07 द्वारा सहमति प्रदान की है एंव अप्रार्थी संख्या 08 , 09 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर रखा है जो शामिल फाईल है एंव अप्रार्थी संख्या 01 की मृत्यु हो चुकी है जो जिनके संशोधित अनवान पेश कर रखा है जिनकी वारिसान बाद तामिल अनुपस्थित है, जिनके एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है । प्रकरण में हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत वैकल्पिक रास्ता कायमी बाबत रिपोर्ट के अनुसार कि अप्रार्थीगण की मौजा चमनपुरा की आराजी नं. 1448/373 रकबा 2–00 बीघा मे से 0–02 बीघा एंव आराजी नम्बर 373 रकबा 2–08 बीघा मे से 0–01 बीघा बिलानाम भूमि ही रास्ता कायमी हेतु प्रस्तावित हुई है। अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई । चूंकि अप्रार्थी संख्या 8,9 के अधिवकता ने वक्त बहस में बताया कि प्रार्थी को खसरा नम्बर 373 से रास्ता दिया जा सकता है इससे ना तो दो–दो खातेदारो को नुकसान होगा और साथ ही मुझ अप्रार्थी कसे भारी क्षति होने से भी बचाकर न्याय दिया जायेगा । राज्य सरकार द्वारा नवीन संदर्भ में जारी आदेश अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251–(क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन संबधि नया कानून बनाने के पीछे स्पष्ट अभिमन्शा है कि प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावे।

परन्तु तहसील कार्यालय बनेडा से हल्का पटवारी चमनपुरा की मार्फत प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रार्थी को निम्न रास्ता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पेश हुए है जो निम्न है –

1. प्रार्थी ग्राम चमनपुरा की उक्त सरकारी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 373 से होकर अपने खेत पर पहुचंते है जिसका रकबा 0–03 बीघा है इसके अलावा न्यूनतम दुरी का अन्य कोई रास्ता नही है ।
2. प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता विपक्षीगण की ग्राम चमनपुरा की आराजी नं. 1448/373 रकबा 2–00 बीघा मे से 0–02 बीघा भूमि नया रास्ता हेतू चाही गई जो सुजान कंवर पत्नि सुरेश सिंह केशावत , बृजबाला पत्नि भुपेन्द्र सिंह केशावत निवासी अंसल सुशान्त सिटी आरजिया तहसील व जिला भीलवाडा के नाम खातेदारी दर्ज रेकार्ड है ।
3. प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता चमनपुरा की आराजी नम्बर 373 रकबा 2–08 बीघा किस्म बी.ब. मे से 0–01 बीघा भूमि नया रास्ता हेतु चाही गई है जो बिलानाम होकर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित है ।
4. प्रार्थी के कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है तथा प्रस्तावित रास्ता लघुत्तम एंव उपयुक्त है ।
5. प्रकरण मे प्रस्तावित भूमि की डीएलसी दर 576198/– प्रति बीघा से 0–03 बीघा भूमि की मालियत 86430/– बनती है ।

मैने पत्रावली का आद्योपांत अध्ययन एंव अवलोकन किया है। तहसीलदार रिपोट के अनुसार ग्राम चमनपुरा की आराजी नं. 1448/373 रकबा 2–00 बीघा मे से 0–02 बीघा एंव आराजी नम्बर 373 रकबा 2–08 बीघा मे से 0–01 बीघा भूमि रास्ता चाहा गया था । परन्तु अप्रार्थीगण को न्यूनतम असुविधा हो तथा अप्रार्थी की कम से कम कृषि भूमि प्रभावित हो इस हेतु हल्का पटवारी द्वारा मौजा चमनपुरा की चमनपुरा की आराजी नम्बर 373 रकबा 2–08 मे से रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है ।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र मौजा चमनपुरा की आराजी नम्बर 373 रकबा 2–08 बीघा मे से 0–03 बीघा भूमि नवीन रास्ता कायमी के आदेश प्रदान किये जाने योग्य है ।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने से मौजा चमनपुरा पटवार चमनपुरा तहसील बनेडा स्थित आराजी नम्बर 360 , 361 , 369 , 370 कुल खसरा 04 रकबा 14 बीघा 12 बिस्वा मे पहुंचने हेतू ग्राम चमनपुरा की आराजी नं. 373 रकबा 2–08 बीघा के पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे आराजी नम्बर 373 रकबा 2–08 बीघा मे से 15 फीट चोडा रास्ता सार्वजनिक रास्ते के रूप मे कायम किया जाकर तद्नुसार रेकार्ड में अमलदरामद तहसीलदार बनेडा द्वारा किया जावें। यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में तहसीलदार बनेडा के यहा प्रचलित डी0एल0सी0 की दरों की दुगुनी राशि (0.03 बीघा की) राज्य कोष/अप्रार्थीगण को अदायगी कर दी जावे/जमा करा दी जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2021 को सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

(महीपाल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)